संख्या-5021 आर/छ-पु-5-800(65)91

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 22 फरवरी,1992

विषयः- शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र-11 एवं 12 का नवीनीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.1.1989 द्वारा आयुध नियमावली की अनुसूची-2 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र-11 एवं 12 के लाइसेंसों का नवीनीकरण प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है। उक्त प्रपत्रों के नवीनीकरण के दौरान यह पाया गया है कि नवीनीकरण के प्रस्तावों के साथ या तो पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती या फिर जिन मामलों में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है उनमें अन्य कई कमियां पाई जाती है जिससे नवीनीकरण में अनावश्यक रूप से बिलम्ब होता है। उपरोक्त स्थिति में नवीनीकरण के मामलों को सुगमता से निस्तारित किए जाने की दिशा में कृपया निम्नांकित बिन्दुओ के अनुसार परीक्षण कर निर्धारित सामग्री एवं संस्तुति सहित नवीनीकरण के प्रस्ताव शासन को भेजे जायें:-

1- नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किए गये प्रार्थनापत्र (जिस पर रू0 1.50 का टिकट लगा हो) यह पुष्टि कर लेने के उपरांत कि नवीनीकरण की प्रार्थना वास्तविक लाइसेंसी द्वारा ही की गयी है, भेजा जाय।

2- राजपत्रित पुलिस अधिकारी की संस्तुति। यह संस्तुति व्यवसायिक लाइसेंस के प्रपत्र विशेष के लिये अलग-अलग होनी चाहिए।

3- मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति।यदि अग्नि सुरक्षा संबंधी कोई सुझाव पूर्व में लाइसेंसी को दिये गये हो तो अग्निशमन अधिकारी द्वारा संस्तुति उसी अवस्था में की जानी चाहिए जबकि लाइसेंसी द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन कर लिया गया हो। मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति के निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक समय निर्धारित किया जाना चाहिए तथा संस्तुति

निर्धारित समय के भीतर ही प्राप्त कर भेजी जाय। यदि संस्तुति निर्धारित समय की भीतर नही प्राप्त होती है तो शासन अधिकारी की संस्तुति मान ली जाय।

4- नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के संबंध में ट्रेजरी चालान की मूल प्रति।

5- प्रस्तावित शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र- मूल रूप में। यदि मूल लाइसेंस जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो अर्थात कटा-फटा हो, उस पर नवीनीकरण के अंकन हेतु पर्याप्त स्थान न हो, लाइसेंस के पृष्ठ भाग पर कोई कागज या अन्य कोई वस्तु चिपका दी गयी हो जिससे कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लेख छुप गया हो या लाइसेंस की द्वितीय प्रति बनाये जाने के अन्य कोई कारण विद्यमान हो तो नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करा कर उसके ट्रेजरी चालान की मूल प्रति सहित लाइसेंस की द्वितीय प्रति बनाये जाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जाय।

6- जनपद के प्रस्तुत लाइसेंस प्रपत्र-11 एवं 12 नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव अलग-अलग भेजा जाय।

7- लाइसेंस नवीनीकरण का प्रस्ताव भेजते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि लाइसेंस पर अंकित शस्त्र/कारतूस के विक्रय एवं मरम्मत का कोटा शासनादेश संख्या-2828 आर/आठ -5-295/71, दिनांक 8.5.86 के अनुरूप है। यदि नही तो यह स्पष्ट किया जाय कि किन परिस्थितियों में उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया तथा उक्त शासनादेश दिनांक 8.5.86 के अनुरूप कोटा अंकित किये जाने का प्रस्ताव भी किया जाय।

8- नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट संस्तुति की जानी चाहिए।

2- उपरोक्त विषय पर मुझे यह भी कहना है कि कतिपय जनपदों से वर्ष 1991 के नवीनीकरण के प्रस्ताव शासन को अभी तक प्राप्त हो रहे है, कतिपय जनपदों द्वारा वर्ष 1991 के नवीनीकरण के प्रस्ताव ही अभी तक नही भेजे गयें है।। यह स्थिति अत्यंत आपत्ति जनक है। अतः कृपया सुनिश्चित करें कि वर्ष 1992 तक अवशेष वर्षों के लिये नवीनीकरण के अपने जनपद के प्रपत्र-11 एवं 12 के सभी लाइसेंसियों के नवीनीकरण के प्रस्ताव उपरलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत परीक्षण कर वांछित सामग्री एवं संस्तुति सहित शासन को दिनांक 31 मार्च, 1992 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव